



11/5/22

परावली पेश हुई। अपीलार्थ अधिवक्ता उपस्थित  
नहीं। अपीलार्थ के अधिवक्ता को रुक-रुक  
कर वार-२ भाषण लगायी गयी। सांय  
5:40 का समय हो चुका है। वकील  
अपीलार्थ द्वारा रेषपो. की तबकी हेड  
सम्पन्न तलवाना भी पेश नहीं किया गया है।  
अतः अपील अपीलार्थ भदय हाजरी, भदय

पैरवी रुत कमी धूर्ति मे रवारिज की जाती  
है परावली कैलल शुमार की जाकर नंबट  
से कम की जावे व बाद तक्मील  
जिला अगिलेखागाए मे जमा करापी जावे।  
आदेश खुले -पापालप मे शुमापा गया।

  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतकर्ता)  
श्रीगंगानगर